

# जी.के. जायसवाल को सिटी इंजीनियर व ए.पी. सिंह को स्वास्थ्य अधिकारी के पद से हटाया नगर निगम के इंजीनियरों को सौंपे नवीन दायित्व झोन प्रभारियों के झोन में किये बदलाव

रतलाम 04 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने सिटी इंजीनियर श्री जी.के. जायसवाल व स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह को कार्य में लापरवाही बरतने व निरंतर शिकायतें प्राप्त होने पर पद से हटाते हुए श्री जायसवाल को प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी व श्री सिंह को झोन क्रमांक 2 का झोन प्रभारी नियुक्त किया ।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियरों को नवीन दायित्व आगामी आदेश तक सौंपते हुए प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री हनीफ शेख को जलप्रदाय विभाग, कर्मशाला विभाग व लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 1 से 49 के समस्त निर्माण एवं संधारण कार्य, प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास को प्रधानमंत्री आवास योजना, एएचपी, बीएलसी घटक के समस्त कार्य, कालोनी सेल, अमृत योजना—सीवरेज, नाला सुदृढ़ीकरण, ग्रीन स्पेस, सीएम इन्फा फेस 2 एवं 3, मिनी स्मार्ट सिटी, सिटी ट्रांसपोर्ट, जुलवानिया व करमदी ट्रेचिंग गाउण्ड संबंधी विकास कार्य व स्वच्छ भारत मिशन नोडल अधिकारी, प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल को प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, निर्वाचन प्रकोष्ठ, जनगणना, एस.डी.आर. एफ. योजना, आईएचएचएल, नेहरू स्टेडियम, वूमन स्पोर्ट्स काम्पलेक्स व प्रस्तावित फुड जोन का दायित्व सौंपा है ।

इसी तरह प्रभारी सहायक यंत्री श्री अरविन्द दशोत्तर को प्रभारी अधिकारी उद्यान व प्रभारी अधिकारी अमृत सागर झील संरक्षण योजना, श्री एम.के. जैन को लोक निर्माण विभाग के वार्ड क्रमांक 1 से 14 के समस्त विकास कार्य, सीएम इन्फा एवं मिनी स्मार्ट सिटी वार्ड क्रमांक 1 से 14, कालोनी सेल वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 1 से 14 व निर्वाचन एवं जनगणना वार्ड क्रमांक 1 से 14 तक, श्री सत्यप्रकाश आचार्य को प्रभारी अधिकारी विकास शाखा व प्रभारी अधिकारी प्रकाश विभाग, श्री श्याम कुमार सोनी को भवन अनुज्ञा वार्ड क्रमांक 1 से 49 तक, लोक निर्माण विभाग के वार्ड क्रमांक 15 से 32 के समस्त विकास कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, एएचपी, बीएलसी घटक के समस्त कार्य, कालोनी सेल वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 15 से 32, अमृत योजना—सीवरेज, मिनी स्मार्ट सिटी अन्तर्गत आ.आर. 01 रोड संबंधित कार्य व जुलवानिया व करमदी ट्रेचिंग गाउण्ड संबंधी विकास कार्य, श्री अनवर कुरेशी को लोक निर्माण विभाग के वार्ड क्रमांक 33 से 49 के समस्त विकास कार्य, कालोनी सेल वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 33 से 49, सीएम इन्फा 3, मिनी स्मार्ट सिटी अन्तर्गत आ.आर. 03 एवं 04 रोड संबंधित कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी सहायक यंत्री, अमृत सागर झील संरक्षण योजना, नेहरू स्टेडियम व वूमन स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का दायित्व सौंपा है ।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने उपयंत्री श्री भैय्यालाल चौधरी को जलप्रदाय विभाग वार्ड क्रमांक 1 से 25, सुहास पडित को वार्ड क्रमांक 26 से 49, श्री राजेन्द्र मिश्रा को लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत मेन्टेनेंस कार्य के प्रभारी सहायक यंत्री वार्ड क्रमांक 1 से 49, उपयंत्री वार्ड क्रमांक 1 से 8, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, भवन अनुज्ञा, सीएम इन्फा एवं मिनी स्मार्ट सिटी, कालानी सेल, पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी, निर्वाचन एवं जनगणना, नेहरू स्टेडियम व वूमन स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, श्री राजेश पाटीदार को उपयंत्री वार्ड क्रमांक 9 से 16, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, भवन अनुज्ञा, सीएम इन्फा एवं मिनी स्मार्ट सिटी, कालानी सेल, पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी, निर्वाचन एवं जनगणना, अमृत सागर

झील संरक्षण, जुलवानिया व करमदी ट्रेचिंग गाउण्ड संबंधी विकास कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी डीपीआर 1 मुखर्जी नगर एवं डोसी गांव तथा सीवरेज वार्ड क्रमांक 26 से 49, श्री ब्रजेश कुशवाह को उपयंत्री वार्ड क्रमांक 17 से 24, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, भवन अनुज्ञा, सीएम इन्फा एवं मिनी स्मार्ट सिटी, कालानी सेल, पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी, निर्वाचन एवं जनगणना, अमृत योजना—नाला सुदृढ़ीकरण, ग्रीन स्पेस, उपयंत्री उद्यान, मेन्टेनेंस संबंधी समस्त कार्य वार्ड क्रमांक 1 से 49 तथा विकास शाखा वार्ड क्रमांक 1 से 25, श्री मनीष तिवारी उपयंत्री वार्ड क्रमांक 25 से 32, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, भवन अनुज्ञा, सीएम इन्फा एवं मिनी स्मार्ट सिटी, कालानी सेल, पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी, निर्वाचन एवं जनगणना, उपयंत्री कर्मशाला विभाग तथा सिटी ट्रांसपोर्ट, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर को उपयंत्री वार्ड क्रमांक 33 से 40, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, भवन अनुज्ञा, सीएम इन्फा एवं मिनी स्मार्ट सिटी, कालानी सेल, पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी, निर्वाचन एवं जनगणना, प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी घटक अन्तर्गत डीपीआर 3 बंजली, आईएचएचएल वार्ड क्रमांक 26 से 49 व सीवरेज वार्ड क्रमांक 1 से 25 तथा श्रीमती अनिता ठाकुर को उपयंत्री वार्ड क्रमांक 41 से 49, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, भवन अनुज्ञा, सीएम इन्फा एवं मिनी स्मार्ट सिटी, कालानी सेल, पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी, निर्वाचन एवं जनगणना, प्रधानमंत्री आवास याजना एएचपी घटक अन्तर्गत डीपीआर 2 डोसी गाव, आईएचएचएल वार्ड क्रमांक 1 से 25 व विकास शाखा वार्ड क्रमांक 26 से 49 तक का दायित्व सौंपा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्वास्थ्य विभाग में श्री विनय सिंह चौहान को झोन क्रमांक 3 का झोन प्रभारी, श्री पर्वत हाड़े को झोन क्रमांक झोन क्रमांक 1 का झोन प्रभारी, श्री किरण चौहान को झोन क्रमांक 4 का झोन प्रभारी नियुक्त किया वहीं उप स्वच्छता पर्यवेक्षक श्री सौरभ काला को वार्ड क्रमांक 15 के वार्ड प्रभारी का दायित्व सौंपा।

## खुले में गंदगी करने पर 3व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 4 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 3 अक्टूबर सोमवार को खुले में गंदगी करने वाले 3 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर राजेश, अजय स्टेशन रोड पर 500—500 व अफसार पावर हाउस रोड पर 100 रुपये का जुर्माना कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले, अतिक्रमण करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिंदे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ—स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

## 4 अक्टूबर को 97 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

रतलाम 04 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 04 अक्टूबर सोमवार को 97 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

04 अक्टूबर सोमवार को डम्पर से 41550, ट्रेक्टर से 7240, काम्पेक्टर सूखा कचरा 22145 व गीला कचरा 26500 किलो इस तरह कुल 97435 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

## नगर निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवाये आयुष्मान कार्ड

रतलाम 04 अक्टूबर । आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे हैं इस हेतु निगम आयुक्त श्री सामनाथ झारिया ने अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईटी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

## 1467 हितग्राही पीएम स्वनिधि के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 27 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 04 अक्टूबर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर आँन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि पथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 3373 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 1705 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 1427 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 38 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 150 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 209 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 35 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 25 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में नगर पालिक निगम रतलाम को 5 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 3 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 2 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 2 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाइल नम्बर साथ लाना होगा।

## अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 04 अक्टूबर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

## डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झाने में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 04 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रुट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

## नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 04 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

### गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 अक्टूबर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

### वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 अक्टूबर। स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है व अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/04.10.2021/न.पा.निगम, रतलाम.